



राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर वृत्त, उदयपुर

वाणिज्यिक/आवासीय आवास/ भूखण्डों की गुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर वृत्त में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में गुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय आवास/वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है-

कॉलोनी का नाम				निविदा प्राप्त अधिकारी का पता	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय
सवीना-प्रथम/गोवर्धन विलास विस्तार/पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर				आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम/द्वितीय उदयपुर (राज.)	12.02.2015 से 19.02.2015 सांय 5.00 बजे तक	20.02.2015 अपराह्न 3.00 बजे
क्र.सं.	भूखण्ड/आवास सं.	भूखण्ड/आवास का नाप/क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (पवर्गमी) / प्रति आवास	धरोहर राशि (रु. में)	गुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप	
खण्ड प्रथम, उदयपुर					<p>निविदादाता का नामश्रेणी - सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति..... (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)</p> <p>पत्र व्यवहार का पता</p> <p>स्थायी पता</p> <p>दूरभाषमो.नं.</p> <p>आवासीय/वाणिज्यिक आवास/भूखण्ड सं.(जिसके लिये गुहरबन्द निविदा प्रेषित की जा रही है)</p> <p>योजना का नाम:- रावीना-प्रथम/गोवर्धन विलास विस्तार, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर.</p> <p>आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर</p> <p>(भूखण्ड की स्थिति में दर प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दर भरें एवं निर्मित आवास की स्थिति में प्रति आवास के हिसाब से दर भरें)</p> <p>संलग्न राशि रु. बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक बैंक का नामपैन नं.</p> <p>हरताशर निविदादाता</p> <p>लिफाफे का प्रारूप</p> <p>भूखण्ड/आवास संख्या योजना/रोक्टर का नाम</p> <p>निविदादाता का नाम स्थायी पता</p> <p>दूरभाष/मोबाईल नं.</p>	
(1) सवीना-प्रथम, उदयपुर (बड़े व्यावसायिक भूखण्ड)						
1	P-3	112.50	47100.00	529875.00		
2	P-4	112.50	47100.00	529875.00		
3	P-5	112.50	47100.00	529875.00		
(2) सवीना-प्रथम, उदयपुर (व्यावसायिक भूखण्ड)						
4	04	20.25	47100.00	95378.00		
5	08 (C)	23.22	51800.00	120280.00		
खण्ड द्वितीय, उदयपुर						
(1) पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (व्यावसायिक भू-खण्ड)						
1	S-9	14.85	32000.00	47520.00		
2	S-10	14.85	32000.00	47520.00		
3	S-11	14.85	32000.00	47520.00		
4	S-34	14.85	32000.00	47520.00		
5	S-35	14.85	32000.00	47520.00		
6	S-36	14.85	32000.00	47520.00		
7	S-37	14.85	32000.00	47520.00		
(2) पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (आवासीय भू-खण्ड)						
8	3-C-10 (C)	360.00	20500	738000		

1. किसी भी गुहरबन्द प्रस्ताव/प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/आवास हेतु गुहरबन्द प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" के पक्ष में देय होंगे। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराया गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जमा कर ली जावेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जमा कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं करता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद मुतलसी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसुलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 10. गुहरबन्द निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा। 11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दरतावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. निर्मित आवास जहां है, जैसे ही की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. नीलामी स्वीकृत/अस्वीकृत करना मण्डल के अधिकार क्षेत्र में है। 14. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। मण्डल की वेबसाईट www.rhonline.rajasthan.gov.in उप आवासन आयुक्त, उदयपुर